

Dand Prikriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 33 of 1978

Keyword(s):

Bailable Offence, Charge, Cognizable Offence, Complaint, High Court, Inquiry, Investigation, Judicial Proceeding, Local Jurisdiction, Police Report, Police Station, Warrant-case

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

159690

दण्ड प्रत्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) ग्रधिनियम, 1978

[उत्तर) प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 33, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 ग्रगस्त, 1977 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 सितम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीक्रत किया ।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 अक्तूबर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

(जैसा उत्तर प्रदेश विद्यान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में ग्रपनी प्रवृत्ति के संबंध में ग्रग्रतर संशोधन करने के जिल्

मधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित ग्रधिनियम बनाया जाता है :---

1--(1) यह श्रधिनियम बण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) श्रधिनियम, 1978 कहा संक्षिप्त नाम जायना ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2--- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 में----

(क) उपभारा (1) में, शब्द "लोक ग्रभियोजक" के पश्चात् शब्द "ग्रौर एक या ग्रधिक ग्रपर लोक ग्रभियोजक" बढ़ा दिये जायेंगे ग्रौर सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे; ग्रधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की बारा 24 का संशोधन

15/78.334

विधान पुस्तकालय

(राखकीय प्रकाशन)

वत्तर प्रदेश, लखबल

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा बी जायगी ग्रौर सबैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, ग्रार्थात्----

"(7) उपधारा (5) ग्रौर (6) के प्रयोजनार्थ उस ग्रवधि को, जिसमें किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय या लोक ग्रभियोजक, ग्रपर लोक ग्रभियोजक या सहायक लोक ग्रभियोजक के रूप में सेवा की है, ऐसी ग्रवधि समझा जायगा जिसमें ऐसा व्यक्ति ग्रधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है।"

उद्देश्य भौर कारणों के विवरण के लिए क्रुपया दिनांक 29 ग्रगस्त, 1978 ई0 का सरकारी मसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3----खण्ड (क) देखिए।

PRICE IU PAISE

ती एस 0 पू 0 पी 0-ए 0 पी 0 352 सा0 (विधा 0) --- 1 1-1-79--- (3439) -- 1978-1,834+ 50 (मेक 0) ।